सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 730 राँची, मंगलवार, 28 भाद्र, 1938 (श०)

19 सितम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 अगस्त, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, रामगढ़ का ज्ञापांक-2439/जि०ग्रा०, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 एवं पत्रांक-1437/जि०ग्रा०, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-13471, दिनांक 6 दिसम्बर, 2012, पत्रांक-1333, दिनांक 11 फरवरी, 2013, संकल्प सं०-194, दिनांक 8 जनवरी, 2014 एवं संकल्प सं०-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-520, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-47/2014 का.-9077-- श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-740/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातु, रामगढ़ के विरूद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के ज्ञापांक-2439/जि०ग्रा०, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । प्रपत्र- 'क' में श्री तिर्की के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि पतरातू प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा कार्यक्रम के तहत् 48 कूप एवं 11 मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना का

कार्यान्वयन बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किया गया, जिसमें कुल रू० 34,31,311/- रूपये व्यय किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-13471, दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन श्री तिर्की ने पत्रांक-34, दिनांक 17 जनवरी, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री तिर्की से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1333, दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से मंतव्य की माँग की गयी तथा मंतव्य अप्राप्त रहने पर स्मारित भी किया गया । तत्पश्चात् उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-1437/जि०ग्रा०, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री तिर्की के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री तिर्की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, रामगढ़ के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-194, दिनांक 8 जनवरी, 2014 द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री सिन्हा की सांविदिक अवधि समाप्त होने के पश्चात विभागीय संकल्प सं०-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-520, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । श्री तिर्की विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी ।

समीक्षोपरांत, श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातु, रामगढ़, सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को **भविष्य के लिये सचेत** किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 730--50